

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3163]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 10, 2018/श्रावण 19, 1940

No. 3163] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 10, 2018/SHRAVANA 19, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2018

का.बा. 3959(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु, 'इन्साल्वेंसी एण्ड बैंकरप्ट्सी बोर्ड ऑफ इंडिया', नई दिल्ली, केंद्र सरकार द्वारा गठित बोर्ड है, को उसे होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, जिस का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

- (क) केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान;
- (ख) इन्साल्वेंसी एण्ड बैंकरप्ट्सी बोर्ड कोड, 2016 (2016 का 31) के अंतर्गत शुल्क;
- (ग) इन्साल्वेंसी एण्ड बैंकरप्ट्सी बोर्ड कोड, 2016 (2016 का 31) के अंतर्गत संग्रहीत जुर्माना;
- (घ) उपर्युक्त (क), (ख) एवं (ग) पर अर्जित ब्याज आय;
- 2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि 'इन्साल्वेंसी एण्ड बैंकरप्ट्सी बोर्ड ऑफ इंडिया', नई दिल्ली'-
 - (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
 - (ख) कार्यकलाप और विशेष आय की प्रकृति, वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और
 - (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।

4714 GI/2018 (1)

 यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2017-18 के लिए लागू समझी जाएगी और वित्त वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए लागु होगी।

> [अधिसूचना सं. 38 /2018 फा. सं. 300196/42/2017-आईटीए-I] विनय शील गौतम, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापनः यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से कोई भी व्यक्ति प्रतिकृत रूप से प्रभावित नहीं होगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Cental Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2018

- S.O. 3959(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Insolvency and Bankruptcy Board of India', New Delhi, a board established by the Central Government, in respectP of the following specified income arising to that board, namely:-
 - (a) Grants-in-aid received from Central Government;
 - (b) Fees received under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016);
 - (c) Fines collected under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016); and
 - (d) Interest income accrued on (a), (b) and (c) above.
- 2. This notification shall be effective subject to the conditions that Insolvency and Bankruptcy Board of India, New Delhi-
 - (a) shall not engage in any commercial activity;
 - (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years;
 and
 - (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.
- 3. This notification shall be deemed to have been applied for the financial year 2017-2018 and shall apply with respect to the financial years 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 and 2021-2022.

[Notification No. 38/2018/F. No. 300196/42/2017-ITA-I]

VINAY SHEEL GAUTAM, Under Secy.

Explanatory Memorandum: It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.